

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण। लम्बाई- 4.00कि०मी०

संलग्नक सं०-2.1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

इस मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2490/111-2/08-61(प्र०आ०)/07 दि० 25.07.2008 के द्वारा 4.00कि०मी की लम्बाई हेतु 140.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। यह मोटर मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई में स्वीकृत मजखाली दिगोटी मोटर मार्ग से प्रस्तावित किया गया है। यह मोटर मार्ग सिविल बेनाप व नाप भूमि से गुजरता है। ग्राम- मजेठी में कोई भी मोटर मार्ग न होने के कारण यह मोटर मार्ग बनना प्रस्तावित किया गया है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों को अस्पताल, बाजार व स्थानीय उत्पादों को बाजार पहुँचाने की सुविधा प्राप्त होगी। ग्राम-मजेठी में मोटर मार्ग न होने के कारण स्थानीय लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा। ग्राम मजेठी में प्रस्तावित मोटर मार्ग के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है क्योंकि यह क्षेत्र रानीखेत के काफी नजदीक है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग उपयुक्त है।

संरेखण न०-1(लाल रंग से):- इस संरेखण को नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में सिविल वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 कि०मी० आती है।

संरेखण न०-2(नीले रंग से):- इस संरेखण को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में सिविल वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 कि०मी० आती है।

इस संरेखण में अत्यधिक वृक्ष प्रभावित हो रही है। यह संरेखण तकनीकी दृष्टि से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। जिस कारण संरेखण सं० 2 को निरस्त किया गया।

अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता, ढाल न्यूनतम वृक्षों की क्षति तथा आर्थिक व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संरेखण सं० 1(लाल रंग से) उपयुक्त पाया गया है इसी संरेखण पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तदनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया है। अतः लो०नि०वि० के पक्ष में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।


अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा